मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय,
वल्लभ भवन, भोपाल–462004

कमांक : एफ 4–5/2010/नियम/चार भोपाल, दिनांक 24 अप्रैल, 2010

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
मध्य प्रदेश.

विषयः– प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के शासकीय सेवकों के विरूद्ध राज्य शासन अथवा विभागाध्यक्ष स्तर से संस्थित विभागीय जॉच के मामले में जॉचकर्ता/प्रस्तुतकर्ता अधिकारियों को मानदेय दिये जाने के संबंध में ।

———0———

शासकीय सेवकों द्वारा की गयी अनियमितताओं के परिप्रेक्ष्य में म0प्र0 सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 में विभागीय जॉच किये जाने का प्रावधान है, जिस हेतु अनुशासनिक प्राधिकारियों द्वारा जॉचकर्ता/प्रस्तुतकर्ता अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है । ऐसे प्रकरणों जिनमें जॉचकर्ता अधिकारी के रूप में विभागीय जॉच आयुक्त को नियुक्त किया जाता है अथवा जिनमें जॉचकर्ता /प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के रूप में सेवानिवृत शासकीय सेवकों की सेवाएं ली जाती है, को छोड़कर अन्य सभी प्रकरणों में शासकीय सेवकों को ही जांचकर्ता/प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है। इन शासकीय सेवकों को जांचकर्ता/प्रस्तुतकर्ता अधिकारियों के दायित्वों का निर्वहन उनको सौंपे गये चालू कार्यालयीन दायित्वों के अतिरिक्त करना पड़ता है। इस अतिरिक्त कार्य हेतु शासकीय सेवकों को वर्तमान में कोई मानदेय देय नहीं है।

2/ . राज्य शासन के ध्यान में आया है कि विभागीय जांच के मामले लंबे समय तक निराकृत नही होते हैं । विभागीय जॉच. प्रकरण अधिक समय तक लंबित रहना न तो शासन के हित में है और न ही शासकीय सेवकों के हित में । ऐसे शासकीय सेवकों जिनकी सेवानिवृत्ति में 2 वर्ष से कम का समय शेष है, के प्रकरणों का समयबद्ध तरीके से निराकरण और भी आवश्यक हो जाता है, क्योंकि उनके सेवानिवृत्त होने तक प्रकरण निराकृत नही होने की स्थिति में एक ओर तो उन्हें प्राप्त होने वाले सेवानिवृति लाभ नही मिलने की स्थिति उत्पन्न हो जाती हैं तो दूसरी ओर राज्य शासन भी ऐसे शासकीय सेवकों के अंततः दोषी पाये जाने की स्थिति में उनके सेवा में रहते हुए ही उनके विरूद्ध कार्यवाही

करने के अवसर गंवा देता है। दोनों ही दृष्टिकोणों से यह स्थिति अच्छी नहीं कही जा सकती है।

3/ अतः राज्य शासन द्वारा प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के ऐसे शासकीय सेवकों, जिनके विरूद्ध राज्य शासन अथवा विभागाध्यक्ष स्तर से विभागीय जांच संस्थित की गयी है एवं जिनकी सेवानिवृत्ति में 2 वर्ष से कम का समय शेष है, के विभागीय जांच प्रकरणों के समयबद्ध निराकरण हेतु जॉचकर्ता/प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के रूप में नियुक्त शासकीय सेवकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से निर्धारित समयावधि में विभागीय जॉच पूर्ण करने वाले जांचकर्ता/प्रस्तुतकर्ता अधिकारियों को निम्नानुसार मानदेय देने का निर्णय लिया गया है:–

स.क.	विवरण	मानदेय की दर (प्रति जांच प्रकरण)
1.	जांचकर्ता अधिकारी	रू0 2000/–
2.	प्रस्तुतकर्ता अधिकारी	रू0 1000/–

4/ राज्य शासन द्वारा उपरोक्त श्रेणी के प्रकरणों में जॉच हेतु नियुक्त सेवानिवृत जॉचकर्ता अधिकारियों के मानदेय, जो वर्तमान में सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क0 सी 6–2/2007/3/एक, दिनांक 01.10.07 द्वारा निर्धारित किये गये हैं, को मात्र उपरोक्त श्रेणी के प्रकरणों हेतु निम्नानुसार संशोधित करने का निर्णय भी लिया गया है:–

स.क.	विवरण		मानदेय की दर (प्रति जांच प्रकरण)	
			वर्तमान	संशोधित
1.	सेवानिवृत जांचकर्ता अधिकारी	प्रथम श्रेणी के शासकीय सेवकों के विभागीय जांच हेतु	रू0 2000/–	रू0 5000/–
		द्वितीय श्रेणी के शासकीय सेवकों के विभागीय जांच हेतु	रू0 1500/–	

4/ ये मानदेय निम्न शर्तों के अधीन देय होंगे :–

(क) ये मानदेय उन्हीं प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के प्रकरणों में देय होंगे, जिनके विरूद्ध राज्य शासन अथवा विभागाध्यक्ष स्तर से विभागीय जॉच संस्थित की गयी हो एवं जिनकी सेवानिवृत्ति में विभागीय जॉच संस्थित होने की तिथि को 2 वर्ष से कम का समय शेष हो।

(ख) जॉचकर्ता/प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को जॉच पूर्ण कर जॉच प्रतिवेदन भेजने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित समय–सीमा, जो वर्तमान में उसके परिपत्र क0 सी 6–2/2007/3/एक, दिनांक 01.10.07 द्वारा मुख्य शास्ति अधिरोपित करने की निर्धारित प्रकिया हेतु अधिकतम 6 माह एवं लघु शास्ती अधिरोपित करने की निर्धारित प्रकिया हेतु अधिकतम 3 माह निर्धारित की गयी है, के परिपालन में उक्त समय–सीमा के अंदर ही विभागीय जांच पूर्ण कर जांच प्रतिवेदन भेजना होगा। यदि किसी कारणवश जॉच उक्त निर्धारित समय–सीमा के अंदर पूर्ण नही की जा सकी है तो उस स्थिति में जांचकर्ता/प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को इस हेतु जॉच में हुए विलंब के कारणों से अनुशासनिक प्राधिकारी को लिखित रूप में अवगत कराना होगा, जिससे संतुष्ट होने के बाद ही अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा मानदेय स्वीकृत किया जा सकेगा। परंतु यदि विभागीय जॉच 1 वर्ष की समय–सीमा के बाद भी पूर्ण नही की जाती है, कारण चाहे कुछ भी हो, तो न केवल जांचकर्ता/प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को मानदेय प्राप्त करने की पात्रता नही होगी बल्कि उनके शासकीय सेवक होने की स्थिति में उनके विरूद्ध अनिवार्य रूप से अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की जायेगी और यदि वे सेवानिवृत शासकीय सेवक हैं तो उन्हें भविष्य में इस कार्य हेतु अपात्र मानते हुए इस हेतु तैयार किए गए पैनल से पृथक किया जायेगा ।

(ग) मानदेय का भुगतान जांचकर्ता/प्रस्तुतकर्ता अधिकारी जिस कार्यालय में पदस्थ है, उस कार्यालय से अनुशासनिक प्राधिकारी के आदेश के आधार पर किया जायेगा। मानदेय भुगतान संबंधी आदेश जारी करने के पहले अनुशासनिक प्राधिकारी जॉच प्रतिवेदन का परीक्षण कर प्रतिवेदन के स्वीकार्य होने के संबंध में स्वयं को संतुष्ट करेगा । तदुपरांत ही स्वीकृति आदेश जारी किये जा सकेंगे । सेवानिवृत शासकीय कर्मचारियों के संबंध में उक्त प्रकिया का पालन करने के बाद भुगतान अनुशासनिक प्राधिकारी के कार्यालय से किया जा सकेगा । उपरोक्तानुसार मानदेय भुगतान हेतु व्यय वेतन भत्ते मद से विकलनीय होगा ।

(घ) सेवानिवृत्त जांचकर्ता अधिकारियों को कंडिका–3 में उल्लेखित संशोधित दर से मानदेय का भुगतान केवल उन्हीं प्रकरणों में किया जा सकेगा, जिनमें उपर वर्णित शर्तों का संपूर्ण पालन हो रहा हो। अन्य सभी प्रकरणों में सामान्य प्रशासन विभाग

के परिपत्र क0 सी 6–2/2007/3/एक, दिनांक 01.10.07 द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार ही मानदेय देय होगा।

5/ यह आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावशील होगा।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(अश्विनी कुमार राय)
सचिव
मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग